

2021/157

फर्द अहकाम

नाम नाताराज

नाम व्यापारस्थ : सहायक सार्वजनिक कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बरसी

राजस्व बांध/घाईना घब/मुकदमा नंबर : 85/2021

आजा विस्तृत रूप से

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आजा विस्तृत रूप से
2-8-21		<p>अवली पेश हुई। न.नं. 202/21 का कार्य में धोस रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रवाली दिनांक 23-8-21 को पेश हो।</p>
23 8/21		<p>पत्रवाली पेश हुई। नमील पत्रवाली 23-8-21 को पत्रवाली की तदनुसार कार्यवाही के लिए प्रार्थना रिपोर्ट पर बंधन मुक्त की गयी। पत्रवाली का आवेदन के पत्रवाली में प्रस्तुत दस्तावेजों का आवेदन करने एवं नमील वादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर की गयी अज्ञात अज्ञात करने के पत्रवाली एवं वादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर तदनुसार कार्य करने के फलस्वरूप तदनुसार कार्यवाही के लिए प्रार्थना रिपोर्ट अनुसार वादी का वाड अज्ञात डिप्टी मजिस्ट्रेट जिला है कि वाड अज्ञात आवजी ख.नं. 33 एमका 2.0232 हेक्टर विस्तृत जमीन खिन्नुवा जगहगत तदनुसार कार्यवाही जिला जम्पुल से ख.नं. 33 एमका 1.0116 हेक्टर का भूखि खेतदा म/रा देव पालि अनुमान सहाय के डिस्ट्रेट से खेतदा ख.नं. 33 एमका 0.100 हेक्टे. 33 एमका 0.9116 हेक्टे. की भूखि खेतदा नाताराज पुत्र काट्टु हि त्द स्थित डिप्टी मजिस्ट्रेट शाखा संगमठिया में देव खेतदा, राधुमुना पुत्र मुकुण्ड</p>

2021/157

फर्द अहकाम

कौरादेवी बनाम नानाराम

प : सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बरसी

शर्यना पत्र/मुकदमा नम्बर : 55/2021

देनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>1. हि. संरक्षक दादी खूजादेवी जाती कसबि हा. देह खातेदाए, खूजादेवी w/o वि. कायू हि. पु. जाति कसबि हा. देह शक्ति केम आफ शक्ति शरणा संग्रहिण, नाकाजिग ही शरणा पुत्र कायू परफम काता खूजादेवी हि. पु. जाति कसबि हा. देह खातेदा के हिम से रहेगी। उन्नागुहा रफत केमि से उरख दरफद हे वधमिल दार कसबी को शरणा केमि हा है। उरफात व नमसे काड अमुमदरे नेजे जाके। डिक्की पचा जाती हो। जोरि व डिक्की की पालना हे वधरी जाती हो। पंजावकी फेरल थुमार होमकाड वधमिल नाविल दफतर हो।</p> <p>आज्ज किंक 23-8-22 को यह जोरि पुन्ने न्यायालय से मुतापा जाय।</p>	

36
 सहायक कलक्टर बरसी जिला जयपुर

अज अदालत सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी शिवचरण शर्मा (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. भीरा देवी पत्नि हनुमान सहाय जाति बलाई निवासी बलाईयों की ढाणी ग्राम रुपपुरा तह. बस्सी जिला जयपुर।		1. नानगराम पुत्र बाछू 2. सूजा पत्नि बाछू 3. हीरालाल पुत्र बाछू नाबालिग जरिये संरक्षक माता सूजा जाति बलाई निवासी बलाईयों की ढाणी ग्राम खिजूरिया ब्राहमणान तह. बस्सी जिला जयपुर। 4. राजकुमार पुत्र मुकेश जाति बलाई नाबालिग जरिये संरक्षिका ग्यारसी देवी निवासी ग्राम खोदायली तह. व जिला दौसा। 5. उपपंजियक बस्सी जिला जयपुर। 6. तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर।

दावा बाबत घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0 85/21

वादी का वाद अंतिम डिकी किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ख.नं. 33 रकबा 2.0232 हैक्टेयर स्थित ग्राम खिजूरिया ब्राहमणान तह. बस्सी जिला जयपुर में से ख.नं. 33 रकबा 1.0116 हैक्टेयर की भूमि खातेदार भीरा देवी पत्नि हनुमान सहाय के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 33/1 रकबा 0.100 हैक्टेयर, 33/2 रकबा 0.9116 हैक्टेयर की भूमि खातेदार नानगराम पुत्र बाछू हि. 1/4 राहिन इन्डियन बैंक शाखा सांभरिया सा. देह खातेदार, राजकुमार पुत्र मुकेश 1/4 हि. संरक्षिका दादी सूजा देवी जाति बलाई सा. देह खातेदार सूजा देवी पत्नि बाछू हि. 1/4 जाति बलाई सा. देह राहिन बैंक ऑफ इन्डिया शाखा सांभरिया, नाबालिग हीरालाल पुत्र बाछू संरक्षक माता सूजा देवी हि. 1/4 जाति बलाई सा. देह खातेदार के हिस्से में रहेगी। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार बस्सी को आदेश दिया जाता है। कुर्रजात व नक्शे वाद अनुमोदन भेजे जावें।निजी..... मुवलिक..... बाबत.....
खर्चा..... इस मुकददमें का मय सूद वगैरह..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियात तक..... को अदा करें।

वसूलत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23.08.2022 को जारी किया गया।

दस्ताखत.....

मुददई	रुपये	पैसे	मुददायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वहत सबूत महन्ता वकील खर्चा गवाहन फीस कमिशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वहत सबूत महन्ता वकील खर्चा गवाहन फीस कमिशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर
बस्सी जिला जयपुर